

क्र. 250/17 डा.प.ज

15/1/18 पत्रावली फंसा हर्षाशिविवादाद्वारा  
न्याय कार्य स्थगित करने के लिये  
से पत्रावली दिनांक 9/1/18 को भेजा  
हो चुका है। आदेश मन्ना कल करेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर कोटा

9/1/18 जब का उपस्थित पीलासली अधिकारी सहायक  
कार्य से बाहर है। उपखण्ड अधिकारी कोटा  
से पत्रावली दिनांक 20/3/18 को भेजा हो व  
उस का आदेश मन्ना कल करेगा।  
उपखण्ड अधिकारी कोटा

10/1/18 पत्रावली कुवाकर शिवपुत्र लोका  
अदालत में पेश हुई। कुवाकर लोका  
वारंट नं० 448/17 विनिर्दिष्ट हो जाने  
से पहलू खर्चना प्रसन्न प्रकर जेजुरी  
रखने का बोझ भी निश्चित नहीं है।  
अतः प्रभावली व जेजुरी प्रसन्न  
से कम की जाकर फौजदारी प्रकर  
हो। तथा मूल वारंट सहायक कलक्टर  
कोटा

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कोटा  
सहायक कलक्टर कोटा